RAJYA SABHA

Friday, 16th May, 1997/26 Vaisakha, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गेहूँ का समर्थन मूल्य

*581. **श्री रामजीलाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गेहूँ के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 415 + 60 रुपए से अधिक करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो कितना और कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार गेहूँ की राष्ट्रीय पूल मांग को पूरा करने के लिए गेहूँ का आयात करेगी;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में किस-किस देश से तथा किस-किस दर पर; और

(ङ) इस आयात का देश के किसानों तथा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। चालू विपणन मौसम, 1997-98 के दौरान 17.3.97 से 10.6.97 तक की अवधि में खरीद एजेन्सियों को बेचे जाने वाले गेहूँ के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो इस समय 415/- रुपए तथा बोनस के रूप में 60/- रुपए प्रति क्विंटल है।

(ग) एवं (घ) मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 2 मिलियन टन तक गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है, ताकि देश में गेहूँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया जा सके। राज्य व्यापार निगम ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, 1996-97 व 1997-98 के दौरान 26.75 (±5%) लाख टन गेहूँ के आयात का अनुबंध किया है:—

देश	मात्रा (लाख टन में)	अनुबंधित मूल्य प्रति टन (अमेरिकी डालर में)
आस्ट्रेलिया	10.00	148.00 पोतपर्यन्त निःशुल्क
	1.25	156.00 —वही—
	2.00	156.00 —वही—
	2.50	155.00 —वही—
	7.50	154.00 —वही—
कनाडा	2.50	152.50 —वही—
अर्जेन्टीना	1.00	173.00 सी॰ एण्ड एफ

इस समय गेहूँ का और आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) गेहूँ की मामूली मात्रा का कभी-कभी आयात करने से किसानों पर कुछ असर पड़ सकता है, जबकि आयात से विदेशी मुद्रा के बाहर जाने के अलावा इससे किसान हतोत्साहित भी हो सकते हैं।

श्री रामजीलाल: सभापति महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक वर्ष में सरकार ने कुल 2 मिलियन टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है ताकि देश में गेहूं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जा सके। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सभापति महोदय, मैं यह सोचता था कि मंत्री जी बड़े चतुर है और बजट के दौरान उन्होंने कहा था कि किसान के हक में यह बजट नहीं आया है। मैं समझता हूं कि गंदुम का इस मात्रा में बाहर से इंपोर्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि कल वॉर हो जाए, हमारे

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन व्रत करो, क्या ऐसा वक्त नहीं आ जाएगा अगर यही हालात रहे तो? मैं समझता हूं कि आपकी यह पालिसी ठीक नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा में 1994-95 में 30.47 लाख टन, 1995-96 में 31.2 लाख टन और 1996-97 में 20.60 लाख टन गेहूं नेशनल पूल में आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन में वृद्धि के हिसाब से कम गेहूं क्यों नेशनल पूल में आया है? यू०पी० में 1994-95 में 14.6 लाख टन और 1995-96 में 13.2 लाख टन और 1996-97 में 12.61 लाख टन गेहूं सेंट्रल पूल में आया है। इस तरह यू०पी० का शेयर भी कम है।

MR. CHAIRMAN: Please put your question quickly.

श्री रामजीलाल: सभापति महोदय, इस तरह 1996-97 में नेशनल पूल में 81.83 लाख टन गेहूं आया है जब कि पिछले साल 123.27 लाख टन गेहूं नेशनल पूल में आया था। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण है? अगर आपकी यही पालिसी रही तो आगे और भी कम गेहूं नेशनल पूल में आएगा। हमने पहले भी सदन में कहा है कि 415 रुपए का भाव बहुत कम है। आप 415+60 का भाव दे रहे है। कृपया आप यह बताने की कृपा करें कि इस तरह देश का काम कैसे चलेगा? क्या आप इस रेट को बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, रेट बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। रेट जो हम दे रहे हैं गेहूं का, वह लगभग इंटरनेशनल प्राईस के बराबर है। थोड़ा सा उससे कम है। उसमें अगर हम सब्सिडी को जोड़ दें—सिंचाई की, बिजली की, तब तो इंटरनेशनल प्राईस से भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए प्राईस बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। हमने प्राईस के बारे में इतना किया है कि पंजाब में मंडी टैक्स अगर ज्यादा है, वह कुल मिलाकर 10 प्रतिशत होता है और दूसरे राज्यों में अगर टैक्स कम है, जैसे मान लीजिए यू०पी० या बिहार में 5 परसेंट ही टैक्स है तो वहां के किसानों को हम उस 5 परसेंट के बराबर ज्यादा मूल्य दे देंगे। अगर कहीं टैक्स ज्यादा है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि इंपोर्ट की हमारी पालिसी है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इंपोर्ट की पालिसी बिल्कुल नहीं है। हम इंपोर्ट के बिल्कुल खिलाफ है और हम खुद अपने देश के किसानों को हर प्रकार की मदद देकर उनकी उपज बढ़ाना चाहते है लेकिन अगर किसान के यहां अन्न पैदा हुआ है और किसान उसको बेचे नहीं तो हम लोगों को भूखा तो मारेंगे नहीं और न ही उन किसानों पर लाठीचार्ज करेंगे। वे नहीं बेचना चाहते है तो न बेचें। लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है।

तब हमें मजबूरन विदेश से मंगाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि भारत जैसे देश में कृषि मंत्री अगर बार-बार फूड का इम्पोर्ट करता है तो वह देश के लिए लज्जाजनक स्थिति होगी। लेकिन हमें ऐसा करना पड़ रहा है। आप हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ मौका दें। हमें इसके लिए माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए तो हम कभी भी विदेशों से यह नहीं मंगाएंगे।

श्री रामजी लाल: मंत्री जी ने ठीक कहा है, यह तो मैं भी मानता हूं लेकिन इसमें कमी कहां पर है, क्या मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे? सदन में बहुत से माननीय सदस्य हैं जो किसान भी हैं और कृषि के काम को जानते भी हैं। क्या आपने असैसमेंट किया है कि गंदुम को बोने के लिए एक एकड़ में एक डी०ए०पी० का कट्टा लगता है जो 495 रुपये का है, तीन यूरिया खाद के 185-185 रुपये के कट्टे लगते हैं। तो 950 रुपये की खाद हो गयी और 300 रुपये बीज हो गया। इस तरह से यह उसको 1000-1200 रुपये पर क्विंटल पड़ेगा तो कैसे वह गंदुम बोएगा? इसके मुकाबले में गवार 1600 रुपये क्विंटल है जिसमें कोई खर्चा नहीं आता है, वह अभी मार्किट में 1600 रुपये विक्विंटल बिका है, ज्वार 1000 रुपये क्विंटल बिका है, जिस पर कोई खर्चा नहीं आता है, चना 1000-1200 रुपये क्विंटल बिका है, उसका कोई खर्चा नहीं आता हैं, सरसों 1200 रुपये क्विंटल मिल रही है, उसका कोई खर्चा नहीं है तो किसान गंदुम क्यों बोएगा? सभापति महोदय, यह सोचने की बात है कि वह गंदुम क्यों बोएगा? मैंने दो महीने पहले आपसे क्वेश्चन ऑवर में प्रार्थना की थी और कहा था कि यदि 415 रुपये का भाव रहेगा तो किसान गंदुम बोना छोड़ देगा। आपको कन्ज़्यूमर को भी देखना है, गरीब लोगों को भी देखना है, 33 परसेंट जो पॉवर्टी लाइन है, आप उसको भी देख रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि 33 से 35 परसेंट में क्या फर्क हो गया? अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे वालों का यह मिलेगा तो उसमें बीच वाले भी कोई कैटॉगरि हैं, उनका काम कैसे चलेगा? इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसान गंदुम बोना छोड़ देगा। महोदय, देश में कोई कमी नहीं है, गंदुम बहुत हो सकता है, उसे किसान घर में नहीं रख सकता वह साल-छः महीने में खराब हो जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। इसलिए मंत्री महोदय, यह बात नहीं

है कि किसान वह नहीं देगा, वह थोड़े दिन गंदुम रख सकता है, ऐसा नहीं है कि वह उस गंदुम को....

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री रामजीलाल: मैं कनक्लूड कर रहा हूं। तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे किसान गंदुम बोए, दूसरे अनाज बोए ताकि कमी नहीं रहे। जैसा आपने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि बाहर से इम्पोर्ट करना देश के लिए लज्जाजनक है। यह कृषि प्रधान देश है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे किसान गंदुम बोए। इसका आप असैसमेंट जरूर कराएं कि एक एकड़ पर गंदुम बोने के लिए किसान का कितना खर्चा आता है। जब यह असैसमेंट आप करा लेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि खर्चा ज्यादा है और किसान की आमदनी कम है।

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, मैंने 95 रुपये प्राइस बढ़ा दिया है जो इसके पहले कभी नहीं बढ़ा है। तब भी अगर माननीय सदस्य शिकायत करते हैं तो मैं क्या कहूं।

श्री रामजीलाल: बोनस कब तक चलेगा? ..(व्यवधान)..

श्री चतुरानन मिश्र: बोनस इसलिए लगाते हैं कि अगर बोनस नहीं लगाएंगे तो 10 परसेंट हमको मंडी टैक्स देना पड़ेगा। आप डाल-डाल चलते हैं तो हम भी पात-पात चलते हैं। हमने बोनस देकर अपना पैसा बचा लिया है। वह किसानों को हमने दे दिया है, अपने लिये नहीं रखा है। इसलिए हम इसमें किसानों की पूरी मदद करेंगे। असली समस्या प्रोडक्टीविटी बढ़ाने की है, जिसकी तरफ लोग नहीं देख रहे हैं। आप प्राईस पर ज्यादा जोर मत दीजिए। अगर आपको यह आशंका है कि गलत कैलकुलेशंस होते हैं तो हमने आपको कई बार कहा है कि ऐग्रीकल्चर प्राईस कमीशन है, वहां आकर आप बैठिए, उनसे मदद लीजिए, हम भी मदद देने को तैयार हैं। अगर कोई आंकड़े में गलती रह जाती है या कुछ बात है हम उनको इनवाइट करते हैं लेकिन वह अगर नहीं देते हैं, अगर किसान गल्ला नहीं बेचेंगे तो उनकी स्वतंत्रता है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हम हाउस को एश्योर करते हैं कि गेहूं की प्रैक्योरमेंट अच्छी हो रही है। अब करीब 6 मिलियन टन में हम पहुंच रहे हैं, 10 मिलियन टन का टारगेट था उसमें पांच मिलियन टन को हम क्रॉस कर चुके हैं, यह कल तक की रिपोर्ट है। उसके अनुसार रोज बाजार में गेहूं आ रहा है, प्रैक्योरमेंट भी होगा। हमने एक दूसरा तरीका जो बताया है, वह भी शुरू किया है। जैसे यू०पी० में है या बिहार में है जहां मंडी टैक्स कम है या टोटल टैक्स कम है, सपोज़ कीजिए कि पांच परसेंट है, पंजाब में यह 10 परसेंट है तो जो बीच का मार्जिन है, जो डिफरेंस है, वह हम किसानों को दे देते हैं कि लीजिए, आप गेहूं हमें दे दीजिए। इससे हमारी प्रैक्योरमेंट बढ़ जाएगी। अगर आप टाइम दें तो मैं बता भी सकता हूं कि किस-किस स्टेट ने क्या प्रॉमिस किया है। बिहार वाले प्रॉमिस करते हैं कि तुरंत हम तीन लाख टन देंगे और हम उनको और किश्त भेज देंगे।

क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्ट कास्ट कम हो जाएगी, वहां चला जाएगा। मध्य प्रदेश के फूड मिनिस्टर कल आए थे। उन्होंने कहा कि हमको भी यह सहूलियत दीजिए और मध्य प्रदेश का खर्चा हम अपने यहां से प्रोक्योरमेंट से कर लेंगे। बंगाल में प्रोक्योरमेंट कभी नहीं होता था, इसको आप जानते हैं। जब बंगाल के चीफ मिनिस्टर हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आप भी सेन्ट्रल पूल के लिए कुछ दीजिए। उन्होंने कहा कि हम तीन लाख टन आपको चावल देंगे। सभी लोग हमको कोआपरेट कर रहे हैं। यह राष्ट्र की समस्या है और इस दृष्टिकोण से हमें इस पर विचार करना है। मैं अभी आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी जो स्थिति है उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हमारे पास काफी अन्न का स्टाक हो जाएगा। जो हमारे लिए दिक्कत है वह यह है कि हम मार्केट को कैसे कन्ट्रोल करें।

That is the most difficult part of the situation which I am looking into.

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: थैंक्यू चेयरमैन सर, मंत्री जी के विचार और जो उनका दर्द है उससे मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि वह इम्पोर्ट के एक में नहीं है और वह फारमर्स की मदद करना चाहते हैं। यह सराहनीय बात है। लेकिन चेयरमैन सर, यह मसला यहां पर खत्म नहीं होता है। इस हाउस ने दो-तीन सजेशन्स पहले भी मंत्री जी के समक्ष रखें हैं। उनमें से एक सुझाव यह भी है कि फूड कारपोरेशन की जो हैंडलिंग कास्ट है वह बहुत ज्यादा है। अगर आप वहां पर छह हजार या सात हजार की सबसिडी देते हैं तो हम यह चाहते हैं कि वह कास्ट कम हो जाए। आपको तो दस मिलियन टन ही अन्न बाजार से खरीदना है तो उसे चाहे आप पंजाब से खरीदें या चाहे हरियाणा से खरीदें। अगर उनको सौ रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मंत्री जी और दे दें तो वह एफसीआई की कास्ट प्रोडक्शन से कवर किया जा सकता है और आपको उनको पैसा अपने पास से देने की जरूरत नहीं है। हम बार-बार मंत्री जी, आपको यह सजेशन दे चुके हैं। मैं मंत्री जी आपसे यह पूछना चाहता

हूं कि आपका इस पर क्या विचार है; अल्टीमेटली मंत्री जी ने इस पर क्या मन बनाया है कि इसमें फारमर्स भी हों तो इनकी परमानेंट प्रॉब्लम हल हो जाएगी? जैसा मेरे भाई रामजी लाल ने कहा कि वीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर आपको इसकी परमानेंट चिन्ता करनी पड़ेगी। इसलिए आज आपके पास टाइम है, मौका है क्या आप इस संबध में सौलिड स्टेप्स लेंगे?

श्री चतुरानन मिश्रः चेयरमैन सर, जहां तक प्रश्न एफसीआई की कास्ट ऑफ मेंटीनेंस वगैरह का है, तो उसकी हम जांच-पड़ताल करेंगे। अगर माननीय सदस्य हमारी मदद कर सकें तो हम उनको कमेटी का मेम्बर बना देंगे और कहेंगे कि मेंटीनेंस की कास्ट घटा दो, कोई भी आदमी कास्ट को घटा दे तो हम इसके लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ...**(व्यवधान)**...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदीः इसमें सिंगला जी माहिर हैं। आप इनको लें।

श्री चतुरानन मिश्रः जिसको भी कहेंगे, हम उनको कमेटी में ले लेंगे। हमने कहा कि हमको इसकी प्रसन्नता होगी। हमने अपने आप ही यह अनाउंस कर दिया है।..

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगलाः आप यह कमिटमेंट कर दीजिए कि उस पैसे को आप फारमर्स को दे देंगे।

श्री चतुरानन मिश्रः जब उस पैसे का पता चलेगा तभी तो हम देंगे, उसके पहले हम कैसे दे सकते हैं। हमने पहले ही एफसीआई के एम्पलाइज वगैरह के लिए अनाउंस कर दिया है कि अगर आप हमको वैस्टेज घटा कर दोगे, तो जितना आप वैस्टेज घटा कर देंगे, उसका 50 परसेंट हम आपको ही दे देंगे। जो एफसीआई में वैस्टेज है हम उसको घटाना चाहते हैं। उसके वर्कर्स के लिए हमने यह कर दिया है। हैंडलिंग और वैस्टेज कास्ट सब इसमें इन्क्लूड है। अगर फारमर्स भी वैस्टेज को घटा देंगे तो हम उनको भी देने के लिए तैयार हैं।

श्री बलबीर सिंहः थैंक्यू सर, ये मंत्री जी, मेम्बर के तौर पर और मंत्री के तौर पर लच्छेदार जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी हैरानी हुई कि किसानों के बारे में उनका उत्तर बड़ा कठोर है। मंत्री जी बार-बार कहते हैं, चण्डीगढ़ में भी कह कर आये हैं और आज यहां भी कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट प्राईस बढ़ाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस पर उन्होंने कुछ अपने एक्सप्लेनेसन सभी दिए हैं। मुझे मंत्री जी से अब भी उम्मीद है कि वे किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रोक्योरमेंट प्राइस को बढ़ाने पर जरूर गौर करेंगे।

पिछले दिनों पंजाब में मौसम बहुत खराब रहा। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार विशेषकर पंजाब के किसानों के साथ सौतेला सलूक करती है। वहां पर पिछले दिनों बारिश हुई और मौसम खराब रहा जिसकी वजह से प्रोक्योरमेंट में देरी हुई और बहुत सा गेंहू भी खराब हो गया। जो गेहूं बारिश से खराब हो गया है उसको जो प्रोक्योरमेंट एजेन्सयां हैं, वह निश्चित प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि प्रोक्योरमेंट की जो एजेन्सयां हैं, वे उस गेहूं को प्रोक्योरमेंट प्राइस पर खरीदेंगी और क्या वे उनको इसके लिए इंस्ट्रक्शन्स देंगे?

श्री चतुरानन मिश्रः अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वासन तो नहीं दे सकता हूं कि सड़ा हुआ भी खरीद लें, यह नहीं दूंगा। अगर ऐसा है तो हम रिलैक्सेशन करने के लिए to the extent it is possible. हम करेंगे, हमने आन्ध्र प्रदेश के केस में भी किया है। वहां साइक्लोन आया था जिसमें उनका बहुत धान खराब हो गया। हमने उसकी जांच करवाई और हमारे एक्सपर्ट्स ने जितना परसन्टेज एवार्ड किया उतना रिलैक्सेशन हमने उनको दिया था। अगर पंजाब में यह सवाल है, जैसा आप कह रहे है, तो हमको बता दीजिये हम उसकी जांच करवायेंगे। यह बहुत ही रीजनेबल बात है।

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, I welcome the decision of the Government to import wheat. In 1991, the minimum support price was Rs. 225. This has been raised to Rs. 415 in 1996-97. I stand for remunerative prices. Remunerative price means, cost of input plus a reasonable profit. But in the name of peasants, certain sections are trying to hold the country to ransom. They are threatening that they would try to obstruct the procurement of wheat and also try to obstruct the distribution of wheat in India. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has ascertained from foreign countries, their rates of water and power, the price of pesticides, fertilizers and other agricultural implements, their rate of interest on loans taken and tax rates on income and other taxes.

SHRI CHATURANAN MISHRA: 'Foreign countries' means a number of countries. One specific country can be taken up and figures can be supplied to the hon. Member. The Agricultural

Prices Commission is working on all these things. The hon. Member is invited. He can come any day and discuss it with them. The point here is that developed countries are using very advanced technology. They have large plots of land to work upon. They have mechanised farming. Our farmers are poor and we have small peasant proprietorship. The productivity is very low. The fact is that, in spite, of a very high wage cost in foreign countries, our people are not in a position to compete with them. Therefore, I must protect our farmers by all means.

SHRI SATISH AGARWAL : I want to know only one thing. I share the concern of the hon. Minister. The problem is of productivity. Unfortunately, during the last five decades, agriculture has been neglected. The share of agriculture to the GDP has come down from 58 per cent to 30 per cent. According to the Economic Survey 1996-97, I am sorry to say that the per capita availability of pulses which was 60.7 grams in 1952 came down to 34 grams per annum. Is this the progress that we made during the last 45 years? Now look at the reforms period. In 1991, the per capita availability of cereals was 468.5 grams and in the case of pulses it was 41.6 grams the total was 510 grams. In 1996, the availability of cereals has come down from 468.5 grams to 464 grams and the availability of pulses has come down from 41.6 grams to 34 grams. The total availability has come down to 498 grams. During the last six years-reform period - the per capita availability of cereals as well as of pulses has gone down considerably. We are in a position to import wheat. My friends are right. We should have some proper agricultural policy and credit policy for the rural sector and you as Minister should concentrate more on it. It is not a question of giving some support price-Rs.10 more, Rs. 10 less.

It is a question of total agricultural policy for this country whereby we have come to this position during the last six years. What do you plan to do?

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, it is a fact that as far as pulses are concerned, the productivity has gone down but not of wheat. Except in 1993, that has been the case.

SHRI SATISH AGARWAL: Here is the Economic Survey. I am reading from the Economic Survey.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Cereals, as compared to 1995...

SHRI SATISH AGARWAL: Not 1995 but 1991.

SHRI CHATURANAN MISHRA: In 1991 it was 171, in 1996 it was 168.6. So this much fall is there as far as availability is concerned but not wheat when we take all the cereals into account. So we are trying to increase both productivity and production and thereby we will make up for it.

SHRI SATISH AGARWAL: In comparison to 1991, there is a fall, downslide in the availability in the per capita of grams in 1996 as far as both cereals and pulses are concerned.

SHRI CHATURANAN MISHRA: So far as grams are concerned...

SHRI SATISH AGARWAL: I am not talking about grams. I am talking about cereals also.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I have accepted that. I have told you.

SHRI SATISH AGARWAL: There is a fall. *(Interruptions)*

श्री शिव चरण सिंह: सभापति महोदय, रेज़ हमारा नम्बर नहीं आता है। हमारी तरफ देखते ही नहीं है। यह सेज़ की बात है।

MR. CHAIRMAN: Only four supplementaries are allowed. I gave a chance to your party also.

*582. *[The Questioner (Dr. Mohan Babu) was absent. For answer vide Col. 26 infra]*